राज्य बनाम बगतगिरी सीआईएस नंबर 10/2019

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
14.11.2025	राज्य की ओर से लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण बर जमानत मय अधिवक्ता के उपस्थित। साक्ष्य अभियोजन पक्ष में कोई गवाह उपस्थित नहीं। गवाह संख्या 07 राजुराम का जारी सम्मन बाद तामिल लौटा है लेकिन उक्त गवाह हाजिर नहीं आया। अतः गवाह संख्या 07 एवं गवाह संख्या 01 झीमों को जरिए बेलेबल वारंट 1000/– से तलब किया जावे तथा गवाह संख्या 02 भेराराम को जरिए सम्मन से दिनांक 24.11.2025 के लिए तलब किया जावे। गवाह संख्या 04 चिमाराम व 06 भंवरलाल, 09 को जरिए सम्मन से दिनांक 25.11.2025 को तलब हो। वारंट पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण पुराना एवं लक्षित प्रकरणों की सूची में शामिल है। अतः वारंट की तामील हर सूरत में करवाई जावे। अदम तामिल की सूरत में तामिल कुंनिदा व एसएचओ स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण पेश करे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन पक्ष में दिनांक 24/11/25 को पेश हो। सेशन न्यायाधीश बाड़मेर	पत्रा/शामिल [illegible]